



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना रेहड

दिनांक- 16.05.2025

थाना रेहड व एसटीएफ गौतमबुद्ध नगर टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये 03 अभियुक्तगण को अपमिश्रित शराब, 20,000 लीटर ENA से भरे कंटेनर व 03 गाडियों सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस व एसटीएफ गौतमबुद्ध नगर की संयुक्त कार्यवाही में 03 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अपमिश्रित शराब से भरी केन, खाली कांच की बोतलों से भरे बोरे, एक कंटेनर व 03 गाडियां बरामद की गयीं।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने अपना नाम गुड्डू पुत्र मजीद निवासी मुढिया पिस्तोर थाना बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड), राम सिंह पुत्र नरपत सिंह निवासी ग्राम निबादखास थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद, सुनील कुमार पुत्र गैदा सिंह निवासी ग्राम दौलावाला थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद बताया। इस संबंध में थाना रेहड पर मु0अ0सं0 40/25 धारा 3(5)/303(2)/317(2)/274/275 बीएनएस व 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगणों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डू, New Dashmesh Transport में कंटेनर का चालक है, जो IGL कंपनी में लोडिंग कर्मचारी भूप सिंह से सांठगांठ कर गाड़ी में तय मात्रा से अधिक ENA भरवाता है, उसके बाद गुड्डू कंटेनर को लेकर माँ जगदम्बा ढाबे पर आता है वहां पर मौजूद राम सिंह को तय मात्रा से अधिक ENA दे देता है, जहाँ



ढाबा मालिक सुनील कुमार भी शामिल होता है। राम सिंह उपरोक्त यह ENA सुखविन्दर उर्फ सेठी पुत्र अवतार सिंह निवासी ग्राम बेरिया थाना किलाखेडा उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड को दे देता है तथा सुखविन्दर से मिले रुपयो में से अपने हिस्से के रुपये निकालकर गुड्डू व सुनील को दे देता है। सुखविन्दर उपरोक्त ENA में मिलावट कर जहरीली शराब बनाकर विभिन्न ब्रांड नामों से बेचता है। New Dashmesh Transport कंपनी के दो अन्य चालक भी इसी प्रकार ENA की चोरी में लिप्त हैं। सुखविन्दर उर्फ सेठी उपरोक्त के कई ठिकानों पर अपमिश्रित शराब व पैकिंग सामग्री होने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. गुड्डू पुत्र मजीद निवासी मुढिया पिस्तोर थाना बाजपुर जनपद उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)।
2. राम सिंह पुत्र नरपत सिंह निवासी ग्राम निबादखास थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
3. सुनील कुमार पुत्र गैदा सिंह निवासी ग्राम दौलावाला थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 कन्टेनर नम्बर UP 22 T 5490 जिसमें 20000 लीटर ENA भरा है।
2. 19 केन प्लास्टिक अपमिश्रित शराब प्रत्येक में करीब 40 लीटर।
3. 07 बोरे जिनमें खाली कांच की बोतलें प्रत्येक बोरे में करीब 150 बोतलें।
4. 01 कटरनुमा प्लास
5. 01 हरे रंग का प्लास्टिक का पाईप।
6. 01 कार क्रेटा नम्बर UK18R 1515
7. 01 कार ईको नम्बर UP21 ET 0174
8. 01 गाडी महिन्द्रा क्वान्टो UK04V 7778

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राम सिंह उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 15/22 धारा 60(1)/72 आबकारी अधि0 व 120बी/272 भादवि थाना को0शहर बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 38/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
3. मु0अ0सं0 198/2020 धारा 60(1)/62 आब0अधि0 व 272 भादवि थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद।
4. मु0अ0सं0 40/25 धारा 60(1)/72 आब0 अधि0 व 3(5)/303(2)/317(2)/274/275 बीएनएस थाना रेहड बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 40/25 धारा 60(1)/72 आब0 अधि0 व 3(5)/303(2)/317(2)/274/275 बीएनएस थाना रेहड बिजनौर

आपराधिक इतिहास गुड्डू उपरोक्त -

1. मु0अ0सं0 40/25 धारा 60(1)/72 आब0 अधि0 व 3(5)/303(2)/317(2)/274/275 बीएनएस थाना रेहड बिजनौर

पुलिस टीम का विवरण -

- 1- निरीक्षक श्री सचिन कुमार एसटीएफ गौतमबुद्ध नगर मय टीम।
- 2- निरीक्षक श्री सचिन मलिक, प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर।
- 3- श्री योगेश कुमार, प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर।
- 4- श्री विकास कुमार, थाना प्रभारी रेहड़ जनपद बिजनौर।
- 5- उ0नि0 यशपाल सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।
- 6- मुख्य आरक्षी योगेन्द्र सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।
- 7- आरक्षी शिवकुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।
- 8- होमगार्ड चन्द्रपाल सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावली

दिनांक 16.05.2025

थाना मंडावली पुलिस ने अवैध जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध जुआ/सट्टा आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंडावली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध सट्टे की खाईबाडी करते 02 अभियुक्तों सोनू कश्यप पुत्र विजय व राजकुमार पुत्र भुकन निवासीगण ग्राम काशीरामपुर निवासी थाना मंडावली जनपद बिजनौर को 1140/- रुपये की नगदी व 52 ताश के पत्तों सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 55/2025 धारा 13(G) जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.सोनू कश्यप पुत्र विजय निवासी ग्राम काशीरामपुर निवासी थाना मंडावली जनपद बिजनौर
- 2.राजकुमार पुत्र भुकन निवासी ग्राम काशीरामपुर निवासी थाना मंडावली जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

1140/- रुपये की नगदी व 52 ताश के पत्तों ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.मुख्य आरक्षी 80 दीपक कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर
- 2.का0 249 मोनू कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट—थाना नगीना देहात

दिनांक-16.05.2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 120/2025 धारा

3(5)/109(1)/352/118(1)/191(2)/191(3) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2025 को वादी एन्थनी पुत्र जसवन्त सिंह ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.राकेश पुत्र बाबूराम 2.सचिन 3.नितिन 4.दीपाकर 5.विनित पुत्रगण राकेश समस्त निवासीगण ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर वादी के पिता जसवन्त, चाचा अंकित व भाई विकुल के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर धारधार हथियार से वार किये गये, जिससे वादी के पिता व चाचा गम्भीर रूप से घायल हो गये ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0- 120/2025 धारा 3(5)/109(1)/352/118(1)/191(2)/191(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 16.05.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण राकेश पुत्र बाबूराम व सचिन पुत्र राकेश निवासीगण ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 02 फावडों सहित गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.राकेश पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.सचिन पुत्र राकेश निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 02 फावडे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात बिजनौर ।
- 2 है0का0 750 अंकित राघव थाना नगीना देहात बिजनौर ।
3. व का0 2523 संदीप कुमार थाना नगीना देहात बिजनौर ।
4. का0 1065 राजू सागर थाना नगीना देहात बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट—थाना नगीना देहात

दिनांक-16.05.2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 119/2025 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.05.2025 को वादी दीपक विश्रोई पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम ब्राह्मणवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि कुछ अज्ञात चोर, वादी के भाई के खेत से 06 पोपलर के पेड व पडौसी बुगराज के खेत से 05 पोपलर व 01 यूकेलिप्टस के पेड को काटकर ले गये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 119/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण रईस पुत्र मुनीश व मुकीम पुत्र शौकीन निवासीगण ग्राम मझैडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही का विवरण-

आज दिनांक 16.05.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण रईस पुत्र मुनीश व मुकीम पुत्र शौकीन निवासीगण ग्राम मझैडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर को यूकेलिप्टस के 20 गड्डे, पोपलर के 80 गड्डे, पेड काटने की मशीन(कटर) व घटना में प्रयुक्त गाडी सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.रईस पुत्र मुनीश निवासी ग्राम मझैडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2.मुकीम पुत्र शौकीन निवासी ग्राम मझैडा शकरू थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

- 1.एक महेन्द्रा बोलेरो मेक्स पिकप गाडी (UP20CT3143)
- 2.यूकेलिप्टस के 20 गड्डे
- 3.पोपलर के 80 गड्डे
- 4.पेड काटने की मशीन(कटर)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री हिमांशु कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2.हे0का0 737 सुभाषचन्द्र थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 3.हे0का0 149 चन्द्रप्रभात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 4.का0 2042 विनोद कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर

दिनांक 16.05.2025

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट में वांछित बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस निगरानी में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2025 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 10.05.2025 को जब वह अपने मंगेतर के साथ बात कर रही थी, इसी दौरान वंहा पर 1.नितिन पुत्र विरेन्द्र सिंह, 2.लवीश पुत्र धीरेन्द्र, 3.बाली पुत्र राजे उर्फ राजाराम निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर अपने तीन अज्ञात साथियों के साथ आ गए तथा उसे रोककर उसके साथ गलत कार्य किया और वीडियो वायरल कर दी तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2) बीएनएस व धारा 67(a) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 115(2) बीएनएस व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गई तथा आशु, रोबिन व एक बाल अपचारी के नाम प्रकाश में आये ।

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 114/25 धारा 70(1)/351(2)/115(2) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 67A आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1- लवीश पुत्र धीरेन्द्र 2- बाली पुत्र राजे उर्फ राजाराम 3- नितिन पुत्र विरेन्द्र 4- आशु पुत्र कल्लू निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 16.05.2025 को थाना किरतपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस निगरानी में लिया गया तथा बाल अपचारी के कब्जे से घटना के वक्त पहने कपडे बरामद किये गये । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

बाल अपचारी का विवरण –

1. एक बाल अपचारी ।

बरामदगी विवरण-

1- घटना के वक्त पहने कपडे ।

पुलिस टीम का विवरण –

उ0नि0 रोबिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

मुख्य आरक्षी सन्नीराज थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

आरक्षी सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।